न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

वादीगण :–
1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मांगूराम जाति रैगर निवासी कडैल तहसील पुष्कर, अजमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. गुमानसिंह पुत्र श्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
2. दाखकंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
3. नन्दसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
4. बलवीरसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
5. मदनराम पुत्र भागीरथ जाति भांबी निवासी खुण्डियास
6. मोहनकंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
7. रघुवीरसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
8. लाडकंवर पत्नी छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
9. सुरजकंवर पुत्री छोटूसिंह जाति राजपूत निवासी खुण्डियास
10. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– बंटवारा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादी.

मुकदमा नम्बर :– 2025 / 66

निर्णय दिनांक :– 14.05.2025

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम खुण्डियास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 111 खसरा नम्बर 323 रकबा 0.3900 हैक्टर आयी हुई है। उक्त कृषि भूमि में वादी का 89 / 3900 हक हिस्सा व 607 / 1950 हक हिस्सा आया हुआ है जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा है जिस पर वादी लगातार काबिज चला आ रहा हे तथा काश्त करता आ रहा है। वादी अपने हक हिस्से में आयी कृषि भूमि रकबा 0.1303 हैक्टर का लगातार निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा काश्त करता व करवाता आ रहा है। जिसमें पुख्ता बाड खन्दक लगी हुई है तथा मौके की स्थिति को स्पष्ट करने के लिय इस के साथ परिशिष्ट 'क' पेश किया है जिसमें वादी का हिस्सा मार्क एबीसीडी से दर्शित किया गया है। प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ गया है तथा प्रतिवादीगण द्वारा अपना हिस्सा अजनबी क्रेता को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से में जो कृषि भूमि आयी हुई है उसे अंकित करते हुए बेचान की धमकीया लगातार वादी को दे रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादी के हिस्से की कृषि भूमि का बेचान करने की धमकी देने पर वादी ने सभी काश्तकारों

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

से मिलकर आपसी सहमति से वर्षों पूर्व किये गये बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी तहसीलदार भूमिधारी से बंटवारा करवाने का कहा लेकिन प्रतिवादीगण आनाकानी कर रहे है इस कारण वादी को मजबूरन वर्षों पूर्व हो रखे बंटवारे के अनुसार ही वादी का हक हिस्सा घोषित करवाने हेतु घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वर्षों पूर्व हो रखे बंटवारे से इन्कार करने पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से बंटवारा वर्षों पूर्व हो रखे अनुसार प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार से करवाने का अनुनय विनय करने के उपरान्त भी नहीं मानने पर वादी को मजबूरन वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारे की इस्तदुआ चाही है।

दावा वकील वादी द्वारा पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने से पत्रावली साक्ष्य वादी में तलब की गई जिसमें वकील वादी ने वादी स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया और साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर बहस वकील वादी की एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद का समर्थन करते हुए वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की विद्ववतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तो वादी व प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। वादी का वाद बंटवारे का होने के कारण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार परबतसर को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार पबरतसर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/901 दिनांक 12.05.2025 द्वारा उभय पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया गया। जिसका अवलोकन कर वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जाकर अलग–अलग होल्डिंग कायम किये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है।

अतः वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम खुण्डियास की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 111 खसरा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

नम्बर 323 रकबा 0.3900 हैक्टर भूमी का तहसीलदार परबतसर के बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तदनुसार वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय व डिकी का पार्ट रहेगा। डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर